तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-11-25	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक । श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण — **आदेश** 1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 16–4–02 से राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है। 2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण सं० 1 से 13 द्वारा संयुक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 49 के तहत उपखण्ड अधिकारी सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं० 1 से 4 की खातेदारी कृषि भूमि मौजा जायेला के खसरा नं० 294 में से 7 बीघा अप्रार्थीगण सं० 5 से 13 के खाते में दर्ज किये जाने एंव अप्रार्थीगण सं० 5 से 13 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 293/1 की 7 बीघा भूमि, अप्रार्थीगण सं० 1 से 4 के खाते में दर्ज किये जाने/अदला बदली किये जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा दर्ज राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 14/94 में निर्णय दिनाँक 6.11.96 को पारित कर अप्रार्थीगण के निवेदन के अनुसार अदला बदली किये जाने एंव राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये गये। इसके पश्चात अप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा. दि. सपठित आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय में अप्रार्थी सं० 1 व 2 के पिता के नाम गमना की बजाय मोडाजी व नेनाराम जी अंकित हो जाने से इस लिपिकिय एंव टंकन त्रुटि को संशोधित करने एंव निर्णय में सुधार करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के इस प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा दिनाँक 7.7.2000 को इस आधार पर खारिज किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 49 आर. टी. एक्ट एंव प्रस्तुत संशोधित उनवान व प्रस्तुत वकालातनामें में अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के पिता के नाम क्रमशः मोडाजी एंव नेनाराम ही लिखे गये थे। उसी अनुसार निर्णय में भी नाम लिखे गये हैं अतः यह त्रुटि लिपिकिय भूल नहीं होने से संशोधन किया जाना उचित नहीं माना है। उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही ने अपने निर्णय दिनांक 16–4–02 से स्वीकार कर हस्तगत् रेफरेंस प्रार्थना पत्र मंडल में प्रस्तुत किया गया है। 3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि उपखंड अधिकारी के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के उनवान के अनुसार ही मोडा जी एवं नैनाराम जी का नाम अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र मंडल को अपने आलोच्य निर्णय से प्रतिप्रेषित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि भूल चाहे किसी भी स्तर पर रही हो यह तथ्य निर्विवाद हैं कि अप्रार्थीगण की जमाबन्दी में जो नाम दर्ज हैं उसी अनुसार नाम प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं होने से निर्णय में भी नाम गलत दर्ज हुए। फल स्वरूप निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हो रहा हैं ऐसी स्थिति में उक्त भूल को सुधारा जाना आवश्यक था। किंतु उपखंड अधिकारी ने अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं जिला कलेक्टर सिरोही ने भी प्रकरण को समझे बिना मंडल में रेफरेंस प्रतिप्रेषित कर दिया। जबकि प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य नहीं है जो रेफरेंस किये जाने की परिभाषा में आते हो। उनका यह भी कथन है कि रेफरेंस प्रायः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किये जाते है। अतः हस्तगत् रेफरेंस खारिज किया जाकर उपखंड अधिकारी सिरोही के निर्णय दिनांक 6–11–96 में अप्रार्थी सं.1 हकमा पुत्र मोडाजी के स्थान पर हकमा पुत्र गमना एवं अप्रार्थी सं. 2 चमना पुत्र नैनारामजी के स्थान पर चमना पुत्र गमना जी संशोधित किये जाने के आदेश न्यायहित में दिये जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सिरोही को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा. दि. सपठित आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित निर्णय में अप्रार्थी सं० 1 व 2 के पिता के नाम गमना की बजाय मोडाजी व नेनाराम जी अंकित हो जाने से इस लिपिकिय एंव टंकन त्रुटि को संशोधित करने एंव निर्णय में सुधार करने का निवेदन किया। जिसे उपखण्ड अधिकारी सिरोही ने आदेश दिनाँक 7.7.2000 से इस आधार पर खारिज किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 49 आर. टी. एक्ट एंव प्रस्तुत संशोधित उनवान व प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकालातनामें में अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 के पिता के नाम क्रमशः मोडाजी एंव नेनाराम ही लिखे गये थे। उसी अनुसार निर्णय में भी नाम लिखे गये हैं। अतः यह त्रुटि लिपिकिय भूल नहीं होने से संशोधन किया जाना उचित नहीं माना है। उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही ने अपने निर्णय दिनांक 16–4–02 से स्वीकार कर हस्तगत् रेफरेंस प्रार्थना पत्र मंडल में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मात्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा. दि. सपठित आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश बाबत् है। जिसका निस्तारण उपखंड अधिकारी सिरोही के स्तर पर नियमानुसार किया गया है। उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा. दि. सपठित आदेश 6 नियम 17 सीपीसी खारिज किये जाने पर अप्रार्थीगण के पास उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का उपचार उपलब्ध था किंतु उसके द्वारा उक्त उपचार प्राप्त करने के बजाय बिना किसी आधार के रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जिसे जिला कलेक्टर सिरोही ने भी निर्णय दिनांक 16–4–02 से बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये स्वीकार करते हुये मंडल को प्रेषित कर दिया। जिला कलेक्टर सिरोही ने हस्तगत् रेफरेंस मंडल को प्रेषित करने का आधार यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ग्राम जोयला की जमाबन्दी संवत् 2049 से 52 खाता सं० 180 की जो प्रतिलिपि पृष्ठ सं० 29 पर संलग्न हैं उसमें खातेदार हकमा एंव चमना के पिता का नाम गमना ही दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक तथ्य हैं कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम के अनुसार उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में संशोधन नहीं होने की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनाँक 6–11–96 के द्वारा जो राहत प्रार्थीगण को दी जाने की घोषणा/आदेश की गई है उसकी क्रियान्विति नहीं हो सकी है तथा निर्णय अप्रार्थीगण के पक्ष में उनकी सहमती अनुसार हो जाने का भी कोई लाभ अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकता है। भूल पिता के नाम अंकित किये जाने की है जमाबन्दी के मुकाबले अवश्य हुई है तथा यह बात सही है कि यह भूल न्यायालय स्तर पर नहीं होकर अधिवक्ता के स्तर पर हुई हैं किन्तु इस भूल को न्याय हित में संशोधित किया जाना आवश्यक हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं० 14/94 में पारित आदेश दिनाँक 6–11–96 में अप्रार्थी तं० 1 हकमा पुत्र मोडाजी के स्थान पर हक्मा पुत्र गमना एंव अप्रार्थी सं० 2 चमना पुत्र नैनारामजी के स्थान पर चमना पुत्र गमनाजी संशोधित किये जाने के आदेश हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रस्तुत करने के आदेश दिये जाते हैं। उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सपठित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का निस्तारण नियमानुसार किया गया है। उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सपठित आदेश 6 नियम 17 सीपीसी खारिज किये जाने पर अप्रार्थीगण के पास उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने का उपचार उपलब्ध था किंतु उसके द्वारा उक्त उपचार प्राप्त करने के बजाय बिना किसी आधार के रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु रेफरेंस का आधार नही बनाया जा सकता है। यदि अप्रार्थीगण उपखंड अधिकारी सिरोही के उक्त आदेश दिनांक 7–7–2000 से व्यथित है तो रेफरेंस के बजाय उसे उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु विधि में उपलब्ध अन्य उपचार अर्थात सक्षम न्यायालय में अपील/चाराजोही करनी चाहिए थी। रेफरेंस अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकता एवं ना ही रेफरेंस के माध्यम से नियमानुसार पारित आदेश को निरस्त कराया जा सकता है। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत रेफरेंस प्रार्थनापत्र निर्णित किया जाता है। चूंकि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी सं.1 का नाम हकमा पुत्र गमना तथा अप्रार्थी सं.2 का नाम चमना पुत्र गमना अंकित है तथा अभिभाषक की त्रुटि के कारण अप्रार्थी सं.1 हकमा पुत्र गमना के स्थान पर हकमा पुत्र मोडाजी तथा अप्रार्थी सं.2 का नाम चमना पुत्र नैनारामजी अंकित त्रुटि से किया गया। प्रकरण वर्ष 2001 से लम्बित है ऐसी स्थिति में मंडल में अंर्तनिहित शक्तियां धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रयोग करते हुये उपखंड अधिकारी सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–96 में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी सं.1 का नाम हकमा पुत्र गमना तथा अप्रार्थी सं.2 का नाम चमना पुत्र गमना अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल द्फतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	